भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 769

सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

769. सुश्री सुनीता दुग्गलः
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः
श्री थोमस चाज़िकाडनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2014 से देश में महिला कार्यबल की भागीदारी के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पुरुष कर्मचारियों की तुलना में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महिला कर्मचारियों की भागीदारी कितनी है;

(ग) क्या सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में महिला कार्यबल की भागीदारी में कमी आई है, यदि हां, तो देश में महिला कार्यबल और महिला उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और केरल में वर्ष 2014 से बेरोजगार रहने वाली महिलाओं के आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने हाल के सर्वेक्षण पर गौर किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि आधार वर्ष 2013-14 के आधार पर महिला कामगारों की संख्या में कमी आई है, यदि हां, तो महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): रोजगार-बेरोजगारी पर श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (% में)	
	पुरुष	महिला
2016-17	74.3	25.2
2015-16	73.3	25.8

बाद में, रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार/बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

पीएलएफएस	**डब्ल्यूपीआर (% में)**	
	पुरुष	**महिला**
2017-18	71.2	22.0
2018-19	71.0	23.3
2019-20	73.0	28.7

इसके अतिरिक्त, केरल राज्य में 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित महिला बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष (सर्वेक्षण)	केरल
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	24.5%
2016-17 (श्रम ब्यूरो)	21.7%
2017-18 (पीएलएफएस)	23.2%
2018-19 (पीएलएफएस)	17%
2019-20 (पीएलएफएस)	15.1%

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

खुली खदान सहित भूमि के ऊपरी खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और जमीन के नीचे की खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है जो व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****